



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 श्रावण 1936 (श0)
(सं0 पटना 616) पटना, शनिवार, 26 जुलाई 2014

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

26 जुलाई 2014

सं0 बी1-3-121/2014-74—बिहार विधान-सभा उप-निर्वाचन, 2014 के अवसर पर 3-नरकटियांगज, 37-राजनगर (अ.जा.), 87-जाले, 118-छपरा, 123-हाजीपुर, 137-मोहिउद्दीननगर, 151-परबत्ता, 156-भागलपुर, 161-बांका एवं 204-मोहनिया (अ.जा.) विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-100/बिहार-वि.स./1/2014 दिनांक 26.07.2014, 100/बिहार-वि.स./2/2014 दिनांक 26.07.2014, 100/बिहार-वि.स./3/2014 दिनांक 26.07.2014, 100/बिहार-वि.स./4/2014 दिनांक 26.07.2014, 100/बिहार-वि.स./5/2014 दिनांक 26.07.2014, 100/बिहार-वि.स./6/2014 दिनांक 26.07.2014, 100/बिहार-वि.स./7/2014 दिनांक 26.07.2014, 100/बिहार-वि.स./8/2014 दिनांक 26.07.2014, 100/बिहार-वि.स./9/2014 दिनांक 26.07.2014 एवं 100/बिहार-वि.स./10/2014 दिनांक 26.07.2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

हुसैन यूसुफ रिजवी,

अपर सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 तारीख 26 जुलाई, 2014/4 श्रावण, 1936 (शक)

सं० 100/बिहार-वि.स./1/2014 :-यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 3-नरकटियागंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री सतीश चन्द्र दूबे का त्याग-पत्र दिये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 29 मई, 2014 से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) बिहार राज्य से उक्त 3-नरकटियागंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 30 अगस्त, 2014 (शनिवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

- | | | |
|-----|---|------------------------------|
| (क) | नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: | 2 अगस्त, 2014 (शनिवार) |
| (ख) | नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: | 4 अगस्त, 2014 (सोमवार) |
| (ग) | अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: | 6 अगस्त, 2014 (बुधवार) |
| (घ) | वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: | 21 अगस्त, 2014 (वृहस्पतिवार) |
| (ङ) | वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: | 30 अगस्त, 2014 (शनिवार) |

नियत करता है; और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से
आर० के० श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated: 26th July, 2014/
4 Shrawana, 1936(Saka)*

No.100/BR-LA/1/2014:-WHEREAS, the seat of Sh. Satish Chandra Dubey, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from 3-Narkatiaganj Assembly Constituency in the State, has become vacant on 29th May, 2014 by reason of his resignation; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy ;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section(1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) calls upon the said **3-Narkatiaganj** Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 30th August, 2014 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State ;

(B) appoints, with respect to the said election:-

(a) the 2nd August, 2014 (Saturday), as the last date for making nominations ;

(b) the 4th August, 2014 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations ;

-
- (c) the 6th August, 2014 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 21st August, 2014 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 30th August, 2014 (Saturday) , as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 7.00 A.M to 6.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,
R.K.SRIVASTAVA,
Principal Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 तारीख 26 जुलाई, 2014/4 श्रावण, 1936 (शक)

सं० 100/बिहार-वि.स./2/2014 :-यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 37-राजनगर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री राम लक्षण राम 'रमण' का त्याग-पत्र दिये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 18 मई, 2014 से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (2) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) बिहार राज्य से उक्त 37-राजनगर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 30 अगस्त, 2014 (शनिवार) से पूर्व राज्य की किसी भी अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखने वाले एक व्यक्ति को, राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	2 अगस्त, 2014 (शनिवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	4 अगस्त, 2014 (सोमवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	6 अगस्त, 2014 (बुधवार)
(घ)	वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा:	21 अगस्त, 2014 (बृहस्पतिवार)
(ङ)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	30 अगस्त, 2014 (शनिवार)

नियत करता है; और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से
आर० के० श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated: 26th July, 2014/
4 Shrawana, 1936(Saka)*

No.100/BR-LA/2/2014:-WHEREAS, the seat of Sh. Ram Lakhan Ram 'Raman' , in the Legislative Assembly of the State of Bihar , elected from 37-Rajnagar(SC) Assembly Constituency in the State, has become vacant on 18th May, 2014 by reason of his resignation; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy ;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (2) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) calls upon the said **37-Rajnagar (SC)** Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 30th August, 2014 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the schedule castes of the state, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State ;

- (B) appoints, with respect to the said election:-
- (a) the 2nd August, 2014 (Saturday) , as the last date for making nominations ;
 - (b) the 4th August, 2014 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations ;
 - (c) the 6th August, 2014 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 21st August, 2014 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 30th August, 2014 (Saturday) , as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 7.00 A.M to 6.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,
R.K.SRIVASTAVA,
Principal Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 तारीख 26 जुलाई, 2014/4 श्रावण, 1936 (शक)

सं० 100/बिहार-वि.स./3/2014 :-यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 87-जाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री विजय कुमार मिश्र का त्याग-पत्र दिये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 20 मई, 2014 से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) बिहार राज्य से उक्त 87-जाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 30 अगस्त, 2014 (शनिवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

- | | | |
|-----|---|------------------------------|
| (क) | नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: | 2 अगस्त, 2014 (शनिवार) |
| (ख) | नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: | 4 अगस्त, 2014 (सोमवार) |
| (ग) | अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: | 6 अगस्त, 2014 (बुधवार) |
| (घ) | वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: | 21 अगस्त, 2014 (वृहस्पतिवार) |
| (ङ) | वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: | 30 अगस्त, 2014 (शनिवार) |

नियत करता है; और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से
आर० के० श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated: 26th July, 2014/
4 Shravana, 1936(Saka)*

No.100/BR-LA/3/2014:-WHEREAS, the seat of Sh. Vijay Kumar Mishra, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from 87-Jale Assembly Constituency in the State, has become vacant on 20th May, 2014 by reason of his resignation; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section(1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) calls upon the said 87-Jale Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 30th August, 2014 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) appoints, with respect to the said election:-

- (a) the 2nd August, 2014 (Saturday), as the last date for making nominations;
- (b) the 4th August, 2014 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 6th August, 2014 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

-
- (d) the 21st August, 2014 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 30th August, 2014 (Saturday) , as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 7.00 A.M to 6.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,
R.K.SRIVASTAVA,
Principal Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 तारीख 26 जुलाई, 2014/4 श्रावण, 1936 (शक)

सं० 100/बिहार-वि.स./4/2014 :-यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 118-छपरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' का त्याग-पत्र दिये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 29 मई, 2014 से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) बिहार राज्य से उक्त 118-छपरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 30 अगस्त, 2014 (शनिवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

- | | | |
|-----|---|------------------------------|
| (क) | नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: | 2 अगस्त, 2014 (शनिवार) |
| (ख) | नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: | 4 अगस्त, 2014 (सोमवार) |
| (ग) | अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: | 6 अगस्त, 2014 (बुधवार) |
| (घ) | वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: | 21 अगस्त, 2014 (बृहस्पतिवार) |
| (ङ) | वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: | 30 अगस्त, 2014 (शनिवार) |

नियत करता है; और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से
आर० के० श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated: 26th July, 2014/
4 Shrawana, 1936(Saka)*

No.100/BR-LA/4/2014:-WHEREAS, the seat of Sh. Janardan Singh Sigriwal, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from 118-Chapra Assembly Constituency in the State, has become vacant on 29th May, 2014 by reason of his resignation; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy ;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section(1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) calls upon the said **118-Chapra** Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 30th August, 2014 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State ;

(B) appoints, with respect to the said election:-

-
- (a) the 2nd August, 2014 (Saturday) , as the last date for making nominations ;
(b) the 4th August, 2014 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations ;
(c) the 6th August, 2014 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
(d) the 21st August, 2014 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
(e) the 30th August, 2014 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and
(C) fixes the hours from 7.00 A.M to 6.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,
R.K.SRIVASTAVA,
Principal Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 तारीख 26 जुलाई, 2014/4 श्रावण, 1936 (शक)

सं० 100/बिहार-वि.स./5/2014 :-यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 137-मोहिउद्दीननगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री राणा गंगेश्वर सिंह का त्याग-पत्र दिये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 20 मई, 2014 से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) बिहार राज्य से उक्त 137-मोहिउद्दीननगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्दीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 30 अगस्त, 2014 (शनिवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

- | | | |
|-----|---|------------------------------|
| (क) | नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: | 2 अगस्त, 2014 (शनिवार) |
| (ख) | नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: | 4 अगस्त, 2014 (सोमवार) |
| (ग) | अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: | 6 अगस्त, 2014 (बुधवार) |
| (घ) | वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: | 21 अगस्त, 2014 (वृहस्पतिवार) |
| (ङ) | वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: | 30 अगस्त, 2014 (शनिवार) |

नियत करता है; और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से
आर० के० श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated: 26th July, 2014/
4 Shrivana, 1936(Saka)*

No.100/BR-LA/5/2014:-WHEREAS, the seat of Sh. Rana Gangeshwar Singh, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from 137-Mohiuddinnagar Assembly Constituency in the State, has become vacant on 20th May, 2014 by reason of his resignation; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy ;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section(1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) calls upon the said 137-Mohiuddinnagar Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 30th August, 2014 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State ;

(B) appoints, with respect to the said election:-

- (a) the 2nd August, 2014 (Saturday), as the last date for making nominations ;
(b) the 4th August, 2014 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations ;

-
- (c) the 6th August, 2014 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 21st August, 2014 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 30th August, 2014 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 7.00 A.M to 6.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,
R.K.SRIVASTAVA,
Principal Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 तारीख 26 जुलाई, 2014/4 श्रावण, 1936 (शक)

सं० 100/बिहार-वि.स./6/2014 :-यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 123-हाजीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री नित्यानंद राय का त्याग-पत्र दिये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 24 मई, 2014 से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) बिहार राज्य से उक्त 123-हाजीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 30 अगस्त, 2014 (शनिवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

- | | | |
|-----|---|------------------------------|
| (क) | नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: | 2 अगस्त, 2014 (शनिवार) |
| (ख) | नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: | 4 अगस्त, 2014 (सोमवार) |
| (ग) | अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: | 6 अगस्त, 2014 (बुधवार) |
| (घ) | वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: | 21 अगस्त, 2014 (वृहस्पतिवार) |
| (ङ) | वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: | 30 अगस्त, 2014 (शनिवार) |

नियत करता है; और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से
आर० के० श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated: 26th July, 2014/
4 Shrawana, 1936(Saka)*

No.100/BR-LA/6/2014:-WHEREAS, the seat of Sh. Nityanand Roy, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from 123-Hajipur Assembly Constituency in the State, has become vacant on 24th May, 2014 by reason of his resignation; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy ;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section(1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) calls upon the said 123-Hajipur Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 30th August, 2014 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State ;

(B) appoints, with respect to the said election:-

(a) the 2nd August, 2014 (Saturday) , as the last date for making nominations ;

(b) the 4th August, 2014 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations ;

-
- (c) the 6th August, 2014 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 21st August, 2014 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 30th August, 2014 (Saturday) , as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 7.00 A.M to 4.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,
R.K.SRIVASTAVA,
Principal Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 तारीख 26 जुलाई, 2014/4 श्रावण, 1936 (शक)

सं० 100/बिहार-वि.स./7/2014 :-यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 151-परबत्ता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार का त्याग-पत्र दिये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 18 मई, 2014 से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) बिहार राज्य से उक्त 151-परबत्ता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 30 अगस्त, 2014 (शनिवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: 2 अगस्त, 2014 (शनिवार)

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: 4 अगस्त, 2014 (सोमवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: 6 अगस्त, 2014 (बुधवार)

(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: 21 अगस्त, 2014 (वृहस्पतिवार)

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: 30 अगस्त, 2014 (शनिवार)

नियत करता है; और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से
आर० के० श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated: 26th July, 2014/
4 Shrivana, 1936(Saka)*

No.100/BR-LA/7/2014:-WHEREAS, the seat of Sh. Samrat Choudhary Alias Rakesh Kumar, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from 151-Parbatta Assembly Constituency in the State, has become vacant on 18th May, 2014 by reason of his resignation; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy ;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section(1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) calls upon the said 151-Parbatta Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 30th August, 2014 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State ;

(B) appoints, with respect to the said election:-

-
- (a) the 2nd August, 2014 (Saturday) , as the last date for making nominations ;
(b) the 4th August, 2014 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations ;
(c) the 6th August, 2014 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
(d) the 21st August, 2014 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
(e) the 30th August, 2014 (Saturday) , as the date before which the election shall be completed; and
(C) fixes the hours from 7.00 A.M to 4.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,
R.K.SRIVASTAVA,
Principal Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 तारीख 26 जुलाई, 2014/4 श्रावण, 1936 (शक)

सं० 100/बिहार-वि.स./8/2014 :-यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 156-भागलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री अश्विनी कुमार चौबे का त्याग-पत्र दिये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 30 मई, 2014 से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) बिहार राज्य से उक्त 156-भागलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 30 अगस्त, 2014 (शनिवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

- | | | |
|-----|---|------------------------------|
| (क) | नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: | 2 अगस्त, 2014 (शनिवार) |
| (ख) | नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: | 4 अगस्त, 2014 (सोमवार) |
| (ग) | अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: | 6 अगस्त, 2014 (बुधवार) |
| (घ) | वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: | 21 अगस्त, 2014 (वृहस्पतिवार) |
| (ङ) | वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: | 30 अगस्त, 2014 (शनिवार) |

नियत करता है; और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से
आर० के० श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated: 26th July, 2014/
4 Shrivana, 1936(Saka)*

No.100/BR-LA/8/2014:-WHEREAS, the seat of Sh. Ashwini Kumar Choubey, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from 156-Bhagalpur Assembly Constituency in the State, has become vacant on 30th May, 2014 by reason of his resignation; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy ;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section(1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) calls upon the said 156-Bhagalpur Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 30th August, 2014 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State ;

(B) appoints, with respect to the said election:-

- (a) the 2nd August, 2014 (Saturday) , as the last date for making nominations ;
(b) the 4th August, 2014 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations ;

-
- (c) the 6th August, 2014 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 21st August, 2014 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 30th August, 2014 (Saturday) , as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 7.00 A.M to 6.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,
R.K.SRIVASTAVA,
Principal Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 तारीख 26 जुलाई, 2014/4 श्रावण, 1936 (शक)

सं० 100/बिहार-वि.स./9/2014 :-यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 161-बैंका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री जावेद इकबाल अंसारी का त्याग-पत्र दिये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 18 मई, 2014 से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) बिहार राज्य से उक्त 161-बैंका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 30 अगस्त, 2014 (शनिवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	2 अगस्त, 2014 (शनिवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	4 अगस्त, 2014 (सोमवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	6 अगस्त, 2014 (बुधवार)
(घ)	वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा:	21 अगस्त, 2014 (वृहस्पतिवार)
(ङ)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	30 अगस्त, 2014 (शनिवार)

नियत करता है; और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से
आर० के० श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated: 26th July, 2014/
4 Shrivana, 1936(Saka)*

No.100/BR-LA/9/2014:-WHEREAS, the seat of Sh. Javed Iqbal Ansari, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from 161-Banka Assembly Constituency in the State, has become vacant on 30th May, 2014 by reason of his resignation; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy ;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section(1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) calls upon the said 161-Banka Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 30th August, 2014 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State ;

(B) appoints, with respect to the said election:-

-
- (a) the 2nd August, 2014 (Saturday) , as the last date for making nominations ;
(b) the 4th August, 2014 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations ;
(c) the 6th August, 2014 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
(d) the 21st August, 2014 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
(e) the 30th August, 2014 (Saturday) , as the date before which the election shall be completed; and
(C) fixes the hours from 7.00 A.M to 4.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,
R. K. SRIVASTAVA,
Principal Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 तारीख 26 जुलाई, 2014/4 श्रावण, 1936 (शक)

सं० 100/बिहार-वि.स./10/2014 :-यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 204-मोहनिया (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री छेदी पासवान का त्याग-पत्र दिये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 8 मार्च, 2014 से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (2) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) बिहार राज्य से उक्त 204-मोहनियां (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 30 अगस्त, 2014 (शनिवार) से पूर्व राज्य की किसी भी अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखने वाले एक व्यक्ति को, राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	2 अगस्त, 2014 (शनिवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	4 अगस्त, 2014 (सोमवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	6 अगस्त, 2014 (बुधवार)
(घ)	वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा:	21 अगस्त, 2014 (वृहस्पतिवार)

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: 30 अगस्त, 2014 (शनिवार)

नियत करता है; और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से
आर० के० श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated: 26th July, 2014/
4 Shravana, 1936(Saka)*

No.100/BR-LA/10/2014:-WHEREAS, the seat of Sh. Chhedi Paswan, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from 204-Mohania (SC) Assembly Constituency in the State, has become vacant on 8th March, 2014 by reason of his resignation; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy ;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (2) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) calls upon the said **204-Mohania (SC)** Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 30th August, 2014 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the schedule castes of the state, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State ;

- (B) appoints, with respect to the said election:-
- (a) the 2nd August, 2014 (Saturday), as the last date for making nominations ;
 - (b) the 4th August, 2014 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations ;
 - (c) the 6th August, 2014 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 21st August, 2014 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 30th August, 2014 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 7.00 A.M to 6.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,
R. K. SRIVASTAVA,
Principal Secretary,
Election Commission of India.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 616-571+300-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>